ISSN No.
August 2017.

मानव दुर्व्यापार रोकने में अन्तर्राष्ट्रीय तथा भारतीय विधियों की भूमिका

प्रमोद कुमार
सहायक प्राध्यापक (विधि)
केरियर कालेज ऑफ लॉ
भोपाल (म0प्र0)

कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद बाल मजदूरों का मुद्दा भारत में फिर से चर्चा में आ गया है, लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने की उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है, एक कड़वा सच यह है कि कानूनों और अदालती निर्देशों का पालन कराने में पुलिस–प्रशासन को खुद उन बच्चों के परिवारों और समाज की ओर से सहयोग नहीं मिल पाता है कई आर अनेक सामाजिक संगठनों ने बच्चों को खतरनाक धंधों से बाहर भी निकाला, तो वे बच्चे फिर वहीं पहुँच गए, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 16 खतरनाक व्यवसायों एवं 65 खतरनाक प्रक्रियाओं में 14 से कम उम्र के बच्चों को रोजगार देने पर प्रतिबन्ध लगा रखा है, इन प्रतिबन्धों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए आज भी लाखों भारतीय बच्चे प्रतिबंधित कार्यों को कर रहे हैं, चाय की दुकानों, ढ़ाबों, मोटर–गैराज और घरों में बच्चे बड़ी संख्या में काम करते हुए देखे जा सकते हैं, यहाँ इन्हें न सिर्फ कम मेहनताना मिलता है, बल्कि इन्हें निरंतर दुर्व्यवहार भी झेलना पड़ता है।

देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या 18 वर्ष से कम उम्र की है सिर्फ 35 प्रतिशत बच्चों का ही जन्म पंजीकरण किया जाता है प्रत्येक 16 में से एक बच्चा एक वर्ष की आयु पूर्ण करने के पहले कालग्रस्त हो जाता है और प्रत्येक 11 में से एक बच्चा पाँच वर्ष की आयु के पूर्व मौत के आगोश में सो जाता है दुनिया में कम वजन के साथ पैदा होने वाले कुल बच्चों में से 35 प्रतिशत भारत में पैदा होते हैं, विश्व के सम्पूर्ण कुपोषित बच्चों में से 40 प्रतिशत भारत में हैं।

देश में 0–6 आयु में लड़कियों की संख्या का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है, प्रति एक हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 927 है, पंजाब, हरियाणा राज्यों में इससे भी कम, स्कूल जाने लायक उम्र के 100 बच्चों में से 19 बच्चे कभी भी पाठशाला का मुँह नहीं देखते, स्कूल में भर्ती 100 मे से 70 बच्चे सेकेण्डरी स्कूल तक पहुँचते–पहुँचते पढ़ाई छोड़ देते हैं। 18 वर्ष की उम्र की 65 प्रतिशत लड़कियों की शादी हो जाती है। भारत में बच्चों के विरूद्ध अपराधों की संख्या बहुत अधिक है, अधिकाधिक आँकड़ों के अनुसार, देश में प्रत्येक 155 मिनट में 18 वर्ष से कम उम्र की किसी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है। इसी प्रकार भारत में प्रत्येक 18 घंटे में 10 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म किया जाता है। प्रतिवर्ष भारत में 2.5 मिलियन बच्चों की मृत्यु होती है।

मानव दुर्व्यापार को रोकने तथा इससे निपटने के उपाय के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास

- सन् 1927 में दासता के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ 1927 के समझौते को मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिये पहली आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय संधि के रूप में मान्यता मिली।
- वयस्क महिला दुर्व्यापार के उन्मूलन के लिये सन् 1933 के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते में मानव दुर्व्यापार के लिये दण्ड का प्रावधान किया गया।
- सन् 1998 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र में दासता को प्रतिबंधित किया गया तथा बंधुआ बनाने, विवाह की दासता जैसी बालक का शोषण करने वाली प्रथाओं पर प्रतिबन्ध लगाया गया।
- सन् 1930 में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ने दासता के जैसी परिस्थितियों में विकसित होने से रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जबरन मजदूरी समझौता, 1930 पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने

ISSN No.
.August 2017.

हस्ताक्षर किया।

- सन् 1949 में महिलाओं और बच्चों की मानव तस्करी तथा वेश्यावृत्ति के शोषण के उन्मूलन समझौता, 1949 पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौता किया गया।
- 15 नवम्बर सन् 2000 द्वारा पारित तथा 29 सितम्बर, सन् 2003 से लागू पालेर्मो समझौते की महिलाओं और बच्चों की तस्करी के निवारण, उन्मूलन एवं दण्डित करने के लिये 117 देशों ने हस्ताक्षर किये एव देशों ने इसकी पुष्टि किया।
- 18 दिसम्बर, 1979 को पारित तथा 7 सितम्बर, सन् 1981 को लागू ब्व। (महिलाओं के प्रति व्यावसायिक यौन शोषण के लिये) किया गया 176 देशों में इसकी पुष्टि किया।
- 122 देशों ने सन् 1996 में बच्चों के अधिकार के विषय में समझौते के लिये यूनिसेफ तथा एन.जी.ओ. समूह के साथ मिलकर पहली विश्व कांग्रेस को आयोजित किया।
- 159 देशों ने सन् 2001 में जापान में दूसरे विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया।

मानव दुर्व्यापार एवं अन्य की वेश्यावृत्ति के जरिए शोषण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौता, 1951–

प्रस्तावना– चूंकि वेश्यावृत्ति एंव उसकी सहयोगी बुराई वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से मानव तस्करी मानव शरीर की गरिमा तथा मूल्य से असंगत हैं और व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय के कल्याण के लिए हानिकारक है, चूंकि महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी के निवारण के लिए, निम्नांकित अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज लागू हैं–

1. 3 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित मूल–पत्र द्वारा संशोधित देवदासी तस्करी के उन्मूलन के लिए 18 मई, 1904 का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता।
2. उपरोक्त मूल पत्र द्वारा संशोधित मूल पत्र देवदासी तस्करी के उन्मूलन के लिए 4 मई 1910 का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता।
3. 20 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अनुमोदित मूल पत्र द्वारा संशोधित महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी के निवारण के लिये 30 सितम्बर 1921 का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता।
4. पूर्वोक्त मूल पत्र द्वारा संशोधित समझौता पूर्ण वयस्क महिलाओं की तस्करी के निवारण के लिए 11 अक्टूबर, 1933 का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता।

चूंकि राष्ट्र संघ ने 1937 में उपरोक्त दस्तावेजों की परिधि बढ़ाने के लिए एक समझौते का मसौदा तैयार किया था। 1937 के बाद की घटनाओं ने उपरोक्त दस्तावेजों को समेकित करते हुए तथा 1937 के समझौता के मसौदे के सार और उसमें वांछित परिवर्तनों को अंगीभूत करते हुए एक समझौता सम्पन्न करने को संभव बना दिया हैःअतएव अब अनुबंधकारी पक्ष एतद्द्वारा निम्नतः सहमत होते हैं : वर्तमान समझौते के पक्ष सहमत होते हैं कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को दण्डित करेंगे जो, किसी अन्य व्यक्ति की वासना पूर्ति के लिए–

किसी दूसरी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से, खोज कर लाता है, प्रलोभन देता या ले जाता है, चाहे इसमें उस व्यक्ति की सहमति भी हो।

वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी से निपटने एवं निवारण के बारे में सार्क समझौता, 1997– वर्तमान समझौते के पक्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सदस्य राज्य इस बात पर जोर देतेहुए कि वेश्यावृत्ति के उद्देश्य के लिए महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी की बुराई मानव की गरिमा और सम्मान के साथ असंगत है तथा मूल मानव अधिकारों का उल्लंघन है।

नौवे सार्क शिखर सम्मेलन (मई 1997) के फैसले का स्मरण करते हुए कि वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी के गंभीर अपराध से निपटने के लिए क्षेत्रीय समझौते की संभावना खोजी जानी चाहिए। मानव तस्करी एवं अन्य का वेश्यावृत्ति के जरिये शोषण उन्मूलन समझौता, 1949 महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेद–भाव उन्मूलन समझौता, 1979 नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र 1966 और बच्चों के अधिकारों के समझौते, 1989 सहित महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी के निवारण से संबद्ध प्रासंगिक अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों को भी याद करते हुए।

पेइचिंग में चौथे विश्व महिला सम्मेलन (1995) सहित विभिन्न सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय निकायों एवं सम्मेलनों की सिफारिशों के क्रियान्वयन को उचित सम्मान देते हुए, मानव तस्करों द्वारा सार्क देशों की महिलाओं और बच्चों के बढ़ते शोषण तथा प्रेषण, प्राप्ति

और पारगमन के रूप में इन देशों के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त करते हुए

वेश्यावृत्ति के लिए मानव तस्करी रोकने और ऐसी तस्करी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान, जॉच निषेध, अभियोजन एवं दण्ड के महत्व को मान्यता देते हुए।

वेश्यावृत्ति के लिए मानव तस्करी से पीड़ितों की सहायता पुनर्वास एवं प्रत्यावर्तन में सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए.

निम्नलिखित रूप से सहमत हुए,

इस समझौते के उद्देश्य के लिए–

1. बच्चे का तात्पर्य उस व्यक्ति है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है,
2. वेश्यावृत्ति का तात्पर्य है व्यावयिक उद्देश्य के लिए व्यक्तियों का यौन शोषण और दुरूपयोग
3. मानव तस्करी का तात्पर्य है महिलाओं और बच्चों को उनकी सहमति या सहमति बिना पैसे या अन्य लाभ के लिए देश में या उसके बाहर वेश्यावृत्ति के लिए लाना ले जाना, बेचना या खरीदना
4. मानव तस्करों का तात्पर्य है मानव तस्करी के किसी भी रूप में शामिल व्यक्ति, एजेंसियाँ या संस्थान
5. मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्तियों का तात्पर्य है मानव तस्करों द्वारा धोखाधड़ी, धमकी, जोर–जबर्दस्ती, अपहरण, बिक्री, फर्जी शादी, बाल–विवाह या अन्य किसी गैर–कानूनी तरीके से उत्पीड़ित या जबरन वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किए जाने वाली महिलाएं एवं बच्चे,
6. संरक्षण गृह का तात्पर्य है मानव तस्करी से बचाए गए या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को रखने, देख–भाल, उपचार एवं पुनर्वास के लिए सदस्य राज्य की सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त गृह
7. प्रत्यावर्तन का तात्पर्य है अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के आर–पार मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति का अपने मूल देश में वापसी।

मानव तस्करी को रोकने निपटने और सजा के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौता, 2002 –

प्रस्तावना – इस समझौते के राज्य पक्ष, घोषणा करते हैं कि व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की मानव तस्करी को रोकने और इससे मुकाबला करने के लिए कारगार कार्रवाई के वास्ते उद्गम, पारगमन और गन्तव्य स्थल वाले देशों में एक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें ऐसी मानव तस्करी को रोकने, मानव तस्करों को दण्ड देने तथा ऐसी तस्करी के शिकार व्यक्तियों के अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों की सुरक्षा सहित उनकी रक्षा के उपाय शामिल हों, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के शोषण से निपटने के लिए नियम और व्यावहारिक उपायों वाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा कोई सार्वभौमिक दस्तावेज नहीं है, जो मानव तस्करी के सभी पहलुओं से निपटाता हो, चिंता व्यक्त करते हुए कि ऐसे दस्तावेज के अभाव में, जिन व्यक्तियों की तस्करी की संभावना है उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा नहीं मिल पाएगी।

9 दिसम्बर, 1998 के महासभा प्रस्ताव 53/111 को, याद करते हुए जिसमें महासभा ने विभिन्न देशों के बीच संगठित अपराध के विरूद्ध व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता तैयार करने तथा अन्य बातों के साथ–साथ महिलाओं और बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार करने के बारे में विचार–विमर्श के उद्देश्य से एक खुली अंतर–सरकारी तदर्थ समिति के गठन का फैसला किया था, विश्वास करते हुए कि देशों के बीच संगठित अपराध के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौते के अनुपूरक के रूप में व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम, प्रतिबंध और दण्ड के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज इस अपराध को रोकने और निपटने में उपयोगी होगा।

निम्नलिखित बातों पर सहमत हुए–

मानव तस्करी को रोकने तथा इससे निपटने के उपाय के संबंध में भारत सरकार के प्रयास –

- सन् 2013 में भारत सरकार ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 370 को संशोधित करते हुए व्यक्ति के दुर्व्यापार को सम्मिलित किया तथा इसी के साथ धारा 370–क को दुर्व्यापार के शोषित व्यक्ति के संबंध में प्रावधान को भी जोड़ा गया।
- भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से जिला स्तर पर एन्टी ह्यूमन टैंफिकिन यूनिट बनाकर मानव तस्करी रोकने को शासनादेश निर्गत किया।

- भारत के गृह मंत्रालय में मई, 2012 में एक शासनादेश जारी कर सभी राज्यों को निर्देश दिया कि राज्य विदेशी महिला वेश्या जो मानव तस्करी की शिकार है, को अपराध में अभियोजित न करें।
- सन् 1998 में भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों को तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से बचाने के लिये National Plan of Action to Combat Trafficking and Commercial Sexual Exploiter of Women and Children बनाया।
- भारत सरकार ने इन्दिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में मानव तस्करी के पीड़ित को बचाव, पुनर्वास तथा संरक्षण देने की व्यवस्था किया है।
- भारत सरकार ने स्वधार तथा उज्जवला प्रोग्राम बनाकर मानव तस्करी के पीड़ित को बचाव, पुनर्वास तथा संरक्षण देने की व्यवस्था किया है।
- भारत सरकार के ओवरसीज मंत्रालय ने सऊदी अरब तथा अरब अमीरात में भारतीय दूतावासों के भारतीय मानव तस्करी के पीड़ितों को विधिक सहायता, चिकित्सीय सुविधा, पुनर्वास, स्वदेश लौटने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त 24 X 7 टॉल फ्री हेल्पलाइन फोन नं. की भी व्यवस्था की गयी हैं।
- भारत तथा बांग्लादेश ने तेरहवीं वार्षिक बातचीत में सन् 2012 मानव तस्करी को रोकने में एक साझा प्रयास पर दोनों देशों ने अपना वक्तव्य जारी किया है।
- सन् 2000 में किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को निरसित कर भारत सरकार ने किशोर न्याय (बालकों देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 पारित कर पीड़ितों के देखरेख एवं संरक्षण की व्यवस्था किया।
- अवैध दत्तक ग्रहण से तस्करी को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शासनादेश जारी किये गये।
- दत्तक ग्रहण के लिए एक एजेन्सी के रूप में Central Adoption Resource Authority (Cara) बनायी गयी।
- सन् 1974, 1986, 1987 तथा 2013 में भारत सरकार द्वारा National Child Policy बनायी गयी।
- सन् 1987 में भारत सरकार द्वारा National Policy on Child Labour बनायी गयी।
- सन् 1992, 1995 तथा 2005 में भारत सरकार द्वारा National Plan of Action for Children बनायी गई।
- सन् 2005 में भारत सरकार ने बच्चों से संबंधित National Commission for Child Right Act पारित कराया।
- सन् 1988 में भारत सरकार ने National Child Labour Policy शुरू किया।
- भारत सरकार ने Integrated Child Protection Scheme (ICPS), 2009, 2010 को संशोधित कर इसके वित्तीय (Norm) को 1.4.2014 से लागू किया गया।
- गुमशुदा बच्चों को ढूँढने के लिये कार्यकारी योजना बनायी गयी जिसे National Tracking System for Missing and Vulnerable Children के नाम से जाना गया।
- सन् 1956 में मानव तस्करी को देखते हुये भारत सरकार ने पहले स्त्रियों के अनैतिक व्यापार का दामन अधिनियम, 1956 जिसे बाद में अनैतिक व्यापार अधिनियम, 1956 किया गया, पारित किया।
- सन् 1976 में भारत सरकार ने बंधुआ मजदूर (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 पारित किया।
- सन् 1981 में बालश्रम पर प्रतिषेध लगाने के लिये बालश्रम (प्रतिषेध एवं रेग्यूलेशन, एक्ट, 1981 पारित किया।)
- भारत सरकार के ओवरसीज मंत्रालय ने सुरक्षित इमिग्रेशन संचालित करने के लिये जागरूकता कार्यक्रम का अभियान चलाया।
- भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा में बंधुआ मजदूरी के विरूद्ध प्रोजेक्ट चलाया।
- भारत सरकार ने व्यावसायिक यौन शोषण से महिलाओं और बच्चों को दूर करने के लिये प्रायलेट प्रोजेक्ट की स्कीम चलाया।
- भारत सरकार ने स्ट्रीट चिल्डेन के लिये Integrated Child Protection Program for Street Children (ICPS) की स्कीम लागू किया।
- भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्रांक के अनुसार बी.बी. आई इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति अनैतिक

व्यापार अधिनियम, 1956 या अन्य क्रियाविधि में नियम लैंगिक शोषण होता है, को अन्वेषण का अधिकार दिया। (पत्रांक 02–27/2001 सीपी दिनांक 28 अगस्त, 2001)

- बाल मजदूरों की सही–सहती संख्या को लेकर कई तरह के आँकड़ें दिए जाते हैं, एक अनुमान है कि देश में इस समय सवा करोड़ के आसपास बाल श्रमिक हैं, दरअसल इस समस्या का सम्बन्ध सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था से है, गरीब परिवार मजबूरी में काम करने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, अगर उन बच्चों को काम से हटा दिया जाए, तो न सिर्फ उनके, बल्कि उनके परिवार के भरण–पोषण की समस्या भी आ खड़ी होती है, इसलिए बच्चों को काम से निकालकर शिक्षा दिलाने की योजना बहुत कारगर नहीं हो पा रही है, सामाजिक संगठनों की अपनी समस्याएं हैं, वे कुछ बच्चों का भार उठा सकते हैं, लेकिन अंततः यह काम सरकार को ही करना होगा इसके लिए दृढ़ इच्छा–शक्ति की जरूरत है जिन खतरनाक व्यवसायों में बाल मजदूरी पर रोक है, उन पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए। गरीब के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना जरूरी है, ताकि कोई भी परिवार भरण–पोषण के लिए अपने बच्चों के श्रम पर निर्भर न रहे।

संदर्भ :–

☐ India today may 2009
☐ International law S K Kapoor

★★★★★